Annexure - II

FORM – 1
(For Project other than Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 2740 Dated 17/02/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Complaince of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.25 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Jal Sansthan, Rishikesh, Dehradun for construction of Gumaniwala water supply scheme (Peri Urban) in Dehradun district falls with in jusrisdiction of Rishikesh in Rishikesh Tehsil.

It is further certified that:-

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.25 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), Sub-division level committee (s) and the District level Committee are enclosed.
b. The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
c. The each of concerned Gram Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gumaniwala.
d. The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha have given their consent to it.
e. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been comleted and the Gram Sabha have given their consent to it.
f. The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities where application have been specifically safe guarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

(Full name and Official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरण।

कार्यवृत्त

पत्रांक :– 2740 /सक/वन अधि0अधि0/2020–21 दिनांक : 17/02/2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संशोधित) के धारा–6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC (pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 15.02.2021 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के संबंध में चर्चा व विचार–विमर्श हुआ –

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत गुमानीवाला क्षेत्र मे विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को वन भूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार ग्राम सभा समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 08.10.2020 को विचार–विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 28.11.20 विचार–विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से संबंधित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून (जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून)	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून (प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग)	जिलाधिकारी देहरादून (District Magistrate Dehradun)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र मे विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला योजना के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

गुमानीवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत गुमानीवाला क्षेत्र मे विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियो की बैठक में उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि गुमानीवाला क्षेत्र के निवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड जल संस्थान को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सम्बन्धित पार्षदो की सिफारिश पर फोरेस्ट राई एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 0.25 है0 आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान को विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सदस्य, क्षेत्र पंचायत गुमानीवाला, वि0ख0 डोईवाला (देहरादून)
दि0 9/11/2020

जुगल मैत्री
ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड स0 15) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)

श्रीमती पूजा देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड सं0 12) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला-देहरादून
(उत्तराखण्ड)

कार्यवृत्त

आज दिनांक 08.10.2020 को पंचायत घर गुमानीवाला में एक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला निर्माण हेतु क्षेत्र के निवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी। क्षेत्र के निवासियों द्वारा गुमानीवाला के अन्तर्गत 0.25 है0 आरक्षित वन भूमि अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला मे नलकूप व जलाशय निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के नाम हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रधान, ग्राम पंचायत गुमानीवाला
वि0ख0 डोईवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड सं0 15) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)

पूजा देवी
श्रीमती पूजा देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड सं0 12) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला-देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सदस्य, क्षेत्र पंचायत गुमानीवाला
ह0 Arhabisht
दि0 9/11/2020
वि0ख0 डोईवाला (देहरादून)

प्रपत्र—23.1

दिनांक 08.10.2020 को पंचायत घर गुमानीवाला की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

गुमानीवाला क्षेत्र (ऋषिकेश)

क्रमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक / सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश व्यास	[illegible]
2	सन्दीप	सन्दीप
3	रणजीत थापा	[illegible]
4	विष्णु थापा	[illegible]
5	धर्म सिंह	धर्म
6	पूजा वर्मा	पूजादेवी
7	जुगल क्षेत्री	Jugal
8	रीना रागड़	रीना
9	संगीता सकलानी	संगीता
10	दीपक मेहर	D.M
11	विनोद पोखरियाल	Vinod
12	देवेन्द्र बेलवाल	D. Singh
13	धर्मेन्द्र	D. [illegible]
14	हरी नारायण	हरी
15	विजय कुमार	Vijay
16	पिंकी गुसाईं	Pinky
17	अमित	Amit
16	संजय	SANJAY
17	सन्नी	सन्नी

	आरती	आरती
	सुमति रावत	सुमति रावत
	कविता	KAVITA
	शिव प्रसाद	शिव
	खेम सिंह	Khem
	सुन्दर जीना	SUNDER
	विक्रम सिंह	विक्रम
	कमला देवी	कमला देवी
	सुनीता देवी	सुनीता देवी
	हेमा देवी	HEMA
	रेखा थापा	रेखा
	अजीत गुरुंग	अजीत
	तेजू सेती	तेजू
	~~स्व~~ मुकेश	मुकेश
	अनिल	अनिल
	सन्दीप	SANDEEP
	प्रभाकर	प्रभाकर
	सोन प्रकाश	SONU

Jugatchut

... देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड सं0 15) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)

पूजा देवी

श्रीमती पूजा देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
(वार्ड सं0 12) ग्राम गुमानीवाला
वि0 ख0 डोईवाला, जिला-देहरादून
(उत्तराखण्ड)

... गुमानीवाला ... देहरादून (उत्तराखण्ड)

सदस्य, क्षेत्र पंचायत गुमानीवाला
ह0 Abhabisht
दि0 9-11-2020
वि0ख0 डोईवाला (देहरादून)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) की दिनांक 28/11/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वरुण चौधरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वरुण चौधरी — उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश – अध्यक्ष

2– श्री बी० बी० मर्तोलिया — उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग – सदस्य

3– श्री महेश प्रताप सिंह — सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ऋषिकेश – सदस्य/सचिव

4– श्री आशा बिष्ट — बी0डी0सी0 क्षेत्र – सदस्य

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश प्रतिहस्ताक्षरित

सदस्य, क्षेत्र पंचायत गुमानीवाला विकास खण्ड डोईवाला (देहरादून) ह0 Abha ... दि0 .../11/2020

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण/सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड जल संस्थान को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड–ऋषिकेश, देहरादून।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड–ऋषिकेश, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

सदस्य, क्षेत्र पंचायत गुमानीवाला
ह0 Ashabisht
दि0......................
वि0ख0 डोईवाला (देहरादून)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित ऋषिकेश ग्रामीण क्षेत्र मे विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड जल संस्थान को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ऋषिकेश तथा सम्बन्धित सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
देहरादून।

District Magistrate
Dehradun